Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. 16/9/Review/Delhi University/2017/RU-III **Date: 16.11.2018**

To,

The Vice - Chancellor,
University of Delhi,
Delhi - 110007

Sub: Review of Constitutional Safeguards for Scheduled Tribes, monitoring of implementation of Reservation Policy and Development Programmes/Schemes for Scheduled Tribes by University of Delhi, (Delhi)

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Review Meeting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 21.03.2018 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within months' time.

Encl: As above

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय)

F.No.16/9/Review/Delhi University/2017/RU-III

छठा तल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003

अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षणों और उनके संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एवं अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले उपायों संबंधी संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत डॉ. नन्द कुमार साय, अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21.03.2018 को आहूत की गई समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'

बैठक की तिथि : 21.03.2018

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देश में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास एवं संबंधित सभी मुद्दों का अन्वेषण एवं निगरानी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। आयोग को उन सुरक्षणों के कार्यकरण पर राष्ट्रपति महोदय को प्रतिवर्ष एवं समय–समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होते हैं और ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन एवं सिफारिशों का अनुपालन नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, के साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना अपेक्षित होता है।

उक्त संवैधानिक आदेश की पालना में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. नन्द कुमार साय जी की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति (सेवा सुरक्षणों) और उनके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन एवं निगरानी पर दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ दिनांक 21.03.2018 को समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

बैठक की शुरुआत में आयोग ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से चर्चा की जिसमें आयोग को यह बताया गया कि दाखिले के समय मुख्य विषयों का कट ऑफ अधिक होने की वजह से इस वर्ग के छात्रों को प्रवेश नही मिल पाता है। छात्रों ने आयोग को यह भी बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रावासों में जगह कम होने के कारण उनको विश्वविद्यालय कैम्पस से बाहर किराए पर आवास लेकर रहना पड़ता है जिस के कारण परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध कई कॉलेजों जैसे जाकिर हुसैन कॉलेज आदि में कई विषयों में अनुसूचित जनजाति वर्ग में जीरो एडमिशन हुआ जिससे इन वर्गों के विद्यार्थी शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित रहे। यह स्थिति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए हितकर नहीं है क्योंकि इनमें पहले ही साक्षरता एवं शिक्षा की स्थिति अन्य वर्गों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई है।

विद्यार्थियों के बाद आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से चर्चा की जिन्होंने आयोग को यह बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कट ऑफ कम करने के प्रावधान का पालन न किए जाने से दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती हैं और कई कॉलेजों में तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश मात्र शून्य हुआ है। इसका समाधान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों की नियमित एवं तदर्थ नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर का कड़ाई से पालन किए जाने पर बल दिया।

उपरोक्त चर्चा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, अधिष्ठाताओं एवं अन्य अधिकारियों के साथ आयोग की चर्चा हुई। प्रारंभ में आयोग के समक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना एवं विभिन्न विभागों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की शिकायतों के संबंध में आयोग में पहले भी कुछ बैठकें हो चुकी हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोग के सुझावों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने आयोग को यह भी बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि उनके साथ कोई भेदभाव न हो। बैठक में यह स्वीकार किया गया कि छात्रावासों में सीटें कम होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के बहुत से विद्यार्थियों को सीट आवंटित नहीं हो पाती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में फंड की कमी के कारण नए छात्रावासों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अगर आयोग की मदद से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीएसआर फण्ड से छात्रावास निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध हो जाती है तो दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग ने आरक्षण रोस्टर संबंधी शिकायतों के विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध सभी कॉलेजों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विभिन्न पदों हेतु आरक्षण रोस्टर, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए जिससे कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति के मामले में कोई भेद–भाव न हो। सभी संपर्क अधिकारियों को रोस्टर सहित अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संरक्षणों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए तथा उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण भी दिलाया जाना चाहिए ताकि वे अपना कार्य अच्छे से कर सकें।

आयोग द्वारा ली गई समीक्षा बैठक के निष्कर्ष:

1. विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में दाखिले के लिए कट ऑफ कम न किए जाने के कारण कई पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का जीरो एडमिशन हुआ है जो गंभीर चिंता का विषय है। आयोग यह चाहेगा कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कट ऑफ कम किए जाने के प्रावधान का पालन किया जाए। आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कॉलेजों में इस वर्ष विभिन्न विभागों में अनुसूचित जनजाति की सीटें भरी नहीं जा सकी हैं। उदाहरण के लिए बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी में 25 सीटें खाली रहीं, बी.एस.सी (ऑनर्स) कम्पयूटर साईंस में 68 सीटें खाली रहीं और अन्य बहुत से विषयों में भी यही स्थिति रही। यह गंभीर चिंता का विषय है।

2. विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में विश्वविद्यालय में समूह 'क' में अनुसूचित जनजाति के 4.55 प्रतिशत अधिकारी कार्यरत हैं जबकि समूह 'ब' में 5.13 प्रतिशत और समूह 'ग' में मात्र 2.04 प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत हैं जो कि निर्धारित प्रतिशत से काफी कम है।

3. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को भेजी गई जानकारी के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कई रिक्तियां भरी नहीं गई हैं। विभिन्न कारणों से विगत कुछ वर्षों में भर्ती भी नहीं की जा सकी है। विश्वविद्यालय द्वारा जानकारी दी गई है कि गैर शैक्षणिक श्रेणी में 700 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है जिनमें से 72 अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित हैं। इसी प्रकार 930 शैक्षणिक पदों को भरने के प्रक्रिया जारी है जिनमें से 72 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

4. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रावासों में सीटें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जिसकी वजह से उन्हें परिसर के बाहर किराए पर मकान लेकर रहना पड़ता है जो उनके लिए आर्थिक दृष्टि से चिंता का विषय है।

5. विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु नामित किए गए संपर्क अधिकारी को कुल मिलाकर पिछले तीन वर्षों में क्रमशः 11, 15 एव 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में से कितनी शिकायतें अनुसूचित जनजाति की हैं और उनका निराकरण किस प्रकार हुआ है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
National Co... Tribes
...New Delhi

आयोग की अनुशंसाएं:

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए कट ऑफ इस प्रकार कम किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जनजाति के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को कॉलेजों में प्रवेश मिल सके और किसी भी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटें खाली न रहें।
2. दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को साल में कम से कम दो बार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक करनी चाहिए ताकि उनको भी अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए किए जाने वाले कार्यों की पूरी जानकारी रहे। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भी इसी प्रकार त्रैमासिक बैठकें करनी चाहिए। इन वर्गों के विद्यार्थियों की समस्याओं हेतु भी पृथक से एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना उचित होगा।
3. दिल्ली विश्वविद्यालय विशेष भर्ती अभियान चला कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पड़े हुए पदों को भरने का प्रयास करे जिससे अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रिक्त पदों को भरा जा सके।
4. दिल्ली विश्वविद्यालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आवेदन समय पर भरवाए ताकि उनको समय पर भुगतान प्राप्त हो सके और अध्ययन में कठिनाइयों का सामना न करने पड़े।
5. दिल्ली विश्वविद्यालय अपने छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को समुचित सीट आवंटन करने की व्यवस्था करे तथा नए छात्रावास का निर्माण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उनके सीएसआर फंड के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करे। छात्रावास निर्माण के लिए स्थान चिन्हित कर कार्य योजना बनाई जाए। इस कार्य में आयोग भी यथासंभव सहायता करेगा।
6. विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु नामित किए गए संपर्क अधिकारी को कुल मिलाकर पिछले तीन वर्षों में क्रमशः 11, 15 एव 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अनुसूचित जनजाति की कितनी शिकायतें थी तथा उनकी प्रकृति एवं शिकायतों पर लिए गए निर्णय के संबंध में आयोग को जानकारी दी जाए।
7. विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध सभी कॉलेजों के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों का रोस्टर रजिस्टर पारदिर्शिता के लिए वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए।

उपरोक्त अनुशंसाओं के संबंध में कार्रवाई करते हुए आयोग को कार्यपालन प्रतिवेदन भेजा जाए।

15.11.18

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F.No.16/9/Review/Delhi University/2017/RU-III

अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षणों और उनके संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए एवं अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले उपायों संबंधी संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत डॉ. नन्द कुमार साय, अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21.03.2018 को आहूत की गई समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tr
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
3. श्री एच.के. डामोर, सदस्य
4. श्री हर्षद भाई वसावा, सदस्य
5. श्री एम.सी. ईवनाते, सदस्या,
6. श्री राघव चंद्रा, सचिव
7. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
8. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
9. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी

1. प्रो. योगेश के. त्यागी, वाइस चांसलर
2. प्रो. तरुण कुमार दास, रजिस्ट्रार